

## ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प राजपुरा

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी राजपुरा  
व भू.अ.नि. कोर्टी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमराय / नायब  
तहसीलदार रेलमराय की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम राजपुरा तहसील रेलमराय व  
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2022 में खाता संख्या 61 में  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	राजपुरा	61	श्रीलाल पुज खेसा कुम्हार या. देह खाते दाह शाहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एच एचए शाखा राजपुरा इरीषा	श्रीलाल पुज खेसा कुम्हार या. देह खातेदाह शाहिन स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया शाखा राजपुरा इरीषा

उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, \_\_\_\_\_

क्रमांक:- 389

दिनांक :- 16/10/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रेलमराय को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री \_\_\_\_\_ को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, \_\_\_\_\_